संख्या-35/2026/25के-2/22-3-2025-17(74)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रम्मन उर्फ बीपत पुत्र श्री बदन, निवासी जनपद- गोरखपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम0-31.12.2024 दिनांक-07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रम्मन उर्फ बीपत पुत्र श्री बदन, विशुनपुर बुजुर्ग, थाना-खोरावर, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। ब्लाक प्रमुख के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 19.06.1973 को बन्दी ने अपने 50 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बल्लम, बन्दूक, देशी तमन्चों से गोली मारकर 09 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए414/1974 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 395, 307/149, 324/149, 201/149 में मा० द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 24.04.1976 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2001 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2024 तक 23 वर्ष, 02 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष, 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 88 वर्ष, 18 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का समर्थन किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के अनकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रम्मन उर्फ बीपत पुत्र श्री बदन को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रम्मन उर्फ बीपत (बन्दी संख्या-42219) पुत्र श्री बदन, निवासी जनपद-गोरखपुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-35/2026/25के-2/22-3-2025-17(74)/2025

दिनांक 28 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रम्मन उर्फ बीपत पुत्र श्री बदन, विशुनपुर बुजुर्ग, थाना-खोरावर, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। ब्लाक प्रमुख के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 19.06.1973 को बन्दी ने अपने 50 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बल्लम, बन्दूक, देशी तमन्चों से गोली मारकर 09 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए414/1974 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 395, 307/149, 324/149, 201/149 में मा० द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 24.04.1976 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2001 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2024 तक 23 वर्ष, 02 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष, 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 88 वर्ष, 18 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का समर्थन किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के अनकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रम्मन उर्फ बीपत पुत्र श्री बदन को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।